

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

मूल अधिकारों कर्तव्यों एवं प्रजातान्त्रिक मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने में समकालीन कथा साहित्य की भूमिका

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में कहानीकारों ने कथात्मक लेखन के द्वारा समसामयिक जीवन के यथार्थ उसकी समस्याओं आशा आकांक्षाओं के साथ व्यवस्था के विरोध में युवा वर्ग में चेतना जाग्रत करने तथा पाठक को अन्तरंग प्रेरणा देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। यहाँ कहानीकार ने स्वतन्त्रता के पश्चात कहानी के हर पहलू के संक्रमणकालीन दोनों छोरों को छूने का प्रयत्न किया है जिससे समाज में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी शोषक शोषित मालिक मजदूर स्वामी और सेवक के बीच अपने अधिकारों कर्तव्यों और मूल्यों को मांगने को लेकर अविश्वास और क्रूरता भर गई अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये हर वर्ग जीवन को दांव में लगाने तक का संघर्ष शुरू कर दिया और एक क्रान्तिकारी परिवर्तन के साथ समाज एक प्रकाशयुक्त दिशा की ओर मुड़ गया।

मुख्य शब्द : अन्तरंग संवैधानिक, अनुशंसा, प्रभुता, अक्षुण्ण, उत्कर्ष, प्रजातन्त्र, सामन्तवादी, कृष्टाओं की अभिव्यक्ति, अन्योन्यक्रिया, व्यंजनात्मक, उत्कृष्ट, आकृक्षा।

प्रस्तावना

मूल अधिकार

मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे लेकिन 44 वें संविधान संशोधन (1979 ई0) के द्वारा सम्पत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 एवं 19 एफ) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300ए के अन्तर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है।

अब भारतीय नागरिकों को निम्न 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं

1. समता या समानता का अधिकार (अनु0 14 से 18)
2. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनु0 19 से 22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु0 23 से 24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु0 25 से 28)
5. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनु0 29 से 30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

मूल कर्तव्य

सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42 वे संशोधन (1976 ई0) के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 (क) में अनुच्छेद 51(क) के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है जो इस प्रकार है

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रधर्म और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करें।
3. भारत की प्रभुता, अखण्डता, एकता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
4. देश की रक्षा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातत्व की भावना का निर्माण करें।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।

